

प्रेस नोट दिनांक 12.09.2020

1. दिनांक 11.09.20 को वादी उ0नि0 श्री संजीव प्रकाश सिंह थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि लल्लू पुत्र महेन्द्र हरिजन नि0 शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर अम्बेडकरनगर गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 619/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 11.09.20 को वादी व0उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विनय कुमार पुत्र रामाशंकर यादव नि0 चौदपुर हरबंशपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 533/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 11.09.20 को वादी उ0नि0 श्री इसहॉक अहमद थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि केशवराम पुत्र नागेश्वर नि0 मसौधा थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 534/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 11.09.20 को वादी उ0नि0 श्री राम चन्द्र मौर्या थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम किशोर पुत्र राम लवट निषाद नि0 रैथुआ थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 535/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 11.09.20 को वादी उ0नि0 श्री रामचन्द्र मौर्या थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शेषराम पुत्र श्याम लाल नि0 अकवारा डीह थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 536/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 11.09.20 को वादी श्री सभाजीत गोस्वामी पुत्र राम अवध गोस्वामी नि0 सादुल्लापुर थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम प्रकाश नि0 सादुल्लापुर थाना गोसाईगंज अयोध्या अभि0 द्वारा वादी को गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 416/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 11.09.20 को वादी श्री निर्भय गिरी पुत्र राजेन्द्र गिरी नि0 गौहनिया थाना तारून अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या अज्ञात का चालक वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की मो0सा0 में टक्कर मार देना जिससे गम्भीर रूप से घायल हो जाना। जिसके संबंध में थाना तारून में मु0अ0सं0 362/20 धारा 279, 337 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 11.09.20 को वादी उ0नि0 श्री सर्वदमन सिंह थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जितेन्द्र साहनी पुत्र रामचन्द्र साहनी नि0 बरदहा मोतिहारी बिहार अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 578/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 11.09.20 को वादी उ0नि0 श्री कृष्ण प्रताप यादव थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शंकर रैदास पुत्र धुन्ने रैदास नि0 जवाहर दूबे का पुरवा सिधौना थाना कुमारगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 247/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
10. दिनांक 11.09.20 को वादी उ0नि0 श्री अरुण कुमार सिंह थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सद्दाम हुसैन पुत्र बहरईची नि0 तिंदौली थाना कुमारगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 248/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

11. दिनांक 11.09.20 को वादी उ०नि० श्री हरेकृष्ण कुमार थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जयसिंह पुत्र सुनील कुमार नि० तिंदौली थाना कुमारगंज अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु०अ०सं० 249/20 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
12. दिनांक 11.09.20 को वादी श्री विकास मौर्या पुत्र राम धीरज नि० जिगनाही थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अरविन्द कुमार दूबे पुत्र अखिलेश दूबे नि० जिगनाही थाना खण्डासा अयोध्या आदि 03 नफर पुरानी रंजिश को लेकर अभि०गण द्वारा वादी को गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 371/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
13. दिनांक 11.09.20 को वादी उ०नि० श्री सुजीत कुमार मौर्या थाना को०रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मोती लाल पुत्र तुलसीराम नि० हरिहरपुर बलैया थाना को०रुदौली अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 344/20 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
14. दिनांक 11.09.20 को वादी उ०नि० श्री पंकज कुमार सिंह थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि ईशा पुत्र इब्राहिम नि० वाजिदपुर थाना पटरंगा अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 312 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 178/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
15. दिनांक 11.09.20 को वादी उ०नि० श्री सुधीर कुमार थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामदयाल कोरी पुत्र बट्टी प्रसाद कोरी नि० गेरौण्डा थाना पटरंगा अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 179/20 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।